

मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)

//आदेश//

भोपाल दिनांक 19/07/2023

क्रमांक//887/1134836/23/50-2:: राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् आयटम क्रमांक 19, दिनांक 18 जुलाई 2023 के निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के निम्नानुसार संशोधित प्रावधानों की स्वीकृति दी जाती है :-

1. योजना अंतर्गत पात्रता की कण्डिका 3.3 को निम्नानुसार संशोधित कर प्रतिस्थापित की जाती है:-  
“आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।”
2. योजना अंतर्गत अपात्रता की कण्डिका 4.9 को निम्नानुसार संशोधित कर प्रतिस्थापित की जाती है:-  
“जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो। यहाँ पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।”
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा  
आदेशानुसार

  
(अजय कटेसरिया)

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठा. क्र. 1888 /1134836/23/50-2

भोपाल, दिनांक 19.07.2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
3. सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन
4. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, संचालनालय भोपाल  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
महिला एवं बाल विकास विभाग